प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.07.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना मे गिरफ्तार अभियुक्त आलाकत्ल की बरामदगी के समय पुलिस मुठभेड मे घायल/गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल, 01 देसी तमंचा .315 बोर , 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

आज दिनांक 03.07.26 को दिनांक 02.07.26 को अभियुक्तगण द्वारा मृतक मोहित शर्मा की गई हत्या के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 140/26 धारा 3(5),61(2),103(1),191(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी रामेश्वर मैरिज होम के पीछे गली में किराये का मकान बिहारिपुरा गाजियाबाद को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने उक्त घटना को अपने साथी देव, न्याय और हरी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देना बताया गया। जिसने पूछताछ में घटना में प्रयुक्त किये गये चाकू के बारे में पूछने पर उक्त आलाकत्ल को जल प्लांट रोड पर स्थित डंपिंग ग्राउंड में छुपाना बताया गया, जिसकी बाउम्मीद बरामदगी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस बल मय अभियुक्त गौरव शर्मा की निशादेही पर पहुंची, जहां अभियुक्त गौरव शर्मा द्वारा आला कत्ल की इधर उधर झाड़ियों में तलाश किए जाने के दौरान अचानक से अभियुक्त गौरव शर्मा ने झाड़ियों में छिपाये हुए आलाकत्ल के साथ तमंचे से मौके पर मौजूद पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे मौके पर मौजूद पुलिसजन, सिखलाई के तरीके से बाल बाल बचे और जैसे ही अभियुक्त गौरव शर्मा दूसरा कारतूस निकालने लगा तो मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ हेतु फायर किया गया तो अभियुक्त के पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। जिसके पश्चात अभियुक्त गौरव शर्मा को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैंने अपने साथी देव, न्याय और हरी के साथ मिलकर, एक राय होकर, योजनाबद्ध तरीके से चाकू घोंप कर मोहित मोहित शर्मा की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गौरव शर्मा पुत्र श्री विनोद शर्मा निवासी रामेश्वर मैरिज होम के पीछे गली में किराये का मकान बिहारिपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 24 बर्ष।

बरामदगी का विवरण –

एक अदद आला कत्ल , एक अदद देसी तमंचा .315 बोर नाजायज, एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर नाजायज
एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 140/26 धारा 3(5), 61(2), 103(1), 191(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 02/07/2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाना व वादी की पुत्री के साथ गलत काम करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं- 65(2)/137(2) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी उम्र करीब 14 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया कि वादी की पुत्री अपने घर के बाहर खेल रही थी, मैं उसको बहला-फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ गलत काम कर दिया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 2200 पव्वे अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का व 02 कार बरामद।

आज दिनांक 03.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र राजेश कुमार निवासी बडौली राई सोनीपत हरिय़ाणा उम्र करीब 23 वर्ष। 2. अवनीश पुत्र कप्तान ग्राम कालपुर थाना लिट्टी जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 2200 पव्वे अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का व 02 कार बरामद। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मसूरी पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63/72 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों कार ड्राईवर है, हमसे जो 02 कार बरामद हुई हैं जिसमे अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का भरी हुई थी। ये शराब व दोनों गाडी मोहित निवासी ग्राम राजदाना थाना सदर जिला सोनीपत की है जो कई राज्यो में पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ की बनी अवैध शराब की तस्करी करता है और इससे जो भी पैसा मिलता हैं उसमे से 5000 से 10000 रूपये प्रति चक्कर के हिसाब हम दोनों को देता है

। हम करीब 01 साल से मोहित के साथ शराब तस्करी का काम करते है। आज हम दोनों इन कारो में शराब भरकर बिहार राज्य ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. राहुल पुत्र राजेश कुमार निवासी बडौली राई सोनीपत हरिय़ाणा उम्र करीब 23 वर्ष।
2. अवनीश पुत्र कप्तान ग्राम कालपुर थाना लिट्टी जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित निवासी ग्राम राजदाना थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से कुल 2200 पव्वे अवैध अग्रेजी शराब चण्डीगढ़ मार्का व 02 कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत किये गये है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

गोल्डन अवर में की गई 5 करोड़ की साइबर फ्रॉड की शिकायत पर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा शतप्रतिशत धनराशि फ्रीज़

दिनांक 02.07.2026 समय 11.45 PM बजे हुए 5.08 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड की सूचना श्री राजकपूर निवासी थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा की गयी। इस सूचना पर गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए रात 03 बजे तक शत प्रतिशत धनराशि फ्रीज करा ली गयी।

साइबर अपराध होने पर शुरूआती समय गोल्डन आवर की तरह होता है, शीघ्र 1930 पर शिकायत करने पर अधिक से अधिक धनराशि फ्रीज/होल्ड करायी जा सकती है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम तथा कमिश्नरेट के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क 24x7 कार्य कर रही है। कमिश्नरेट के तीनों जोनों में एक-एक जोनल साइबर सेल स्थापित है, जो कि थानों के साइबर हेल्प डेस्क के कार्यो का सतत पर्यवेक्षण कर रही है। साइबर अपराधों पर बेहतर समन्वय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु इण्डियन साइबर क्राइम कोआरडिनेशन सेन्टर (I4C) नई दिल्ली, में उप निरीक्षक श्री विश्वदीपक पुरोहित तथा उप निरीक्षक श्री विश्वेन्द्र को नियुक्त किया गया है। साइबर अपराध होने पर इसकी सूचना तत्काल साइबर हेल्प लाइन 1930 पर या एनसीआरपी पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करायें, साइबर अपराध होने के उपरान्त जितनी जल्दी सूचना दर्ज करायी जाती है उतनी ही जल्दी शिकायत पर कार्यवाही कर अधिक से अधिक फ्रॉड धनराशि को फ्रीज/होल्ड कराकर पीड़ित को पैसे वापस कराये जाते हैं।

इण्डियन साइबर क्राइम कोआरडिनेशन सेन्टर (I4C) नई दिल्ली द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर MRM (Money restoration module) के द्वारा 50 हजार रूपये तक की फ्रीज/होल्ड धनराशि पीड़ित को बिना कोर्ट आर्डर के नियमानुसार औपचारिकतायें पूरी कर पुलिस रिपोर्ट पर वापस कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह एनसीआरपी पोर्टल पर GRM (Grievance Redressal Mechanism) की सुविधा आरम्भ की गयी है, इसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के खाते में किसी लेयर में साइबर फ्रॉड का पैसा आने की वजह से होल्ड/फ्रीज लगा हुआ हो तो वह अपने बैंक में जाकर अपने बैंक खाते में लगे फ्रीज/होल्ड को हटवाने का आवेदन कर सकता है। यह आवेदन पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी तक चला जाता है और आवश्यक जांच के

उपरान्त कार्यवाही की जाती है।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से फैक्ट्री से चोरी की गयी कॉपर पाईप (वजन 40 किलोग्राम) कीमत लगभग 80 हजार रुपये , घटना मे प्रयुक्त एक वैगनार गाडी व 2700 रुपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 30-06-26 को वादी श्री अनूप छिब्बर नि0 मुकन्दनगर गाजियाबाद ने थाने आकर एक लिखित तहरीर दी और बताया कि मैं मेसर्स आनदं रेफेजेरशन प्रा0 लि0 A 4/16 साईट 4 साहिबाबाद गाजियाबाद के एडीमिनस्टर पद पर कार्यरत हूँ दिनांक 29/06/26 को रात्रि के समय 2.00 से 4.00 बजे के बीच में अज्ञात चोरो द्वारा कम्पनी से नये कापर पाइप चोरी कर लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 305/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 02.07.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे की सहायता व मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1.अंचुल पुत्र जगदीश निवासी गांव अन्तपुर थाना अलीगंज जिला बरेली हाल पता म0नं0 283 इन्द्रा एन्कलेव केम्प नं0 5 विकासपुरी तिलक नगर पश्चिम दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष 2.फैसल उर्फ शकील पुत्र यामीन उर्फ आमिन निवासी ग्राम बरहऊपुर पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ हाल पता सेक्टर 8 बांस बल्ली थाना फेज 1 सेक्टर 5 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष को मय फैक्ट्री से चोरी की गयी कॉपर पाईप कुल वजन 40 किलोग्राम **कीमत लगभग 80 हजार रुपये** व घटना मे प्रयुक्त एक वैगनार गाडी व चोरी किये गये कॉपर प्लेट बेचकर 2700 रुपये बरामद किये गये तथा बरामदगी के आधार पर धारा **305/317(2)/331(4) बीएनएस** की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभि0गण ने बताया कि यह कॉपर पाईप हम दोनो ने अभी दो तीन दिन पहले ही अम्बिका स्टील के सामने वाली फैक्ट्री जिसमे गाडीयो मे रेफ्रिजरेशन का काम होता है से चुराई है। जिसमे से हम दोनो ने काफी बण्डल चुराये थे। अभि0 फैसल ने पूछने पर बताया कि साहब पहले भी मैने अपने साथियो के साथ कई बार चोरी कर चुका हूँ। एक चोरी मैने जंगल के सामने धीर एक्सपोर्ट कम्पनी से की थी। जिसमे शिवकुमार व मेहताब मेरे साथ थे। जिसमे हम लोगो ने इलियाज उर्फ मनिया निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद को 50 हजार रुपये में बेच दिया था। जो मेरे पास थे और कुछ स्क्रेप शिवकुमार के पास था जब ये लोग पकडे गये थे तो मै भागकर अपने गांव चला गया था तथा अभियुक्त फैसल ने बताया कि एक चोरी मैने मूर्ति वाली कम्पनी मे अपने साथी शिवकुमार पुत्र भरत निवासी झण्डापुर थाना लिंक रोड जिला गाजियाबाद मूल निवासी कासगंज व महताब व अनवर के साथ मार्च के महीने मे कांसे की पांच प्लेट चोरी की थी। जो हम दोनो ने इलियाज उर्फ मनिया को बेच दी थी। मै पहले महाराजपुर , झण्डापुर, कक्कड ,मे रहा था। फिर मै गांव से वापस आकर नोएडा जाकर रहने लगा। मै अंचुल को करीब 6 साल से जानता हूँ ।मैने अंचुल को इस चोरी के लिए बताया था। बाद मे हम दोनो ने मिलकर यह चोरी की, जामा तलाशी में मिले 2700 रुपये के बारे में बताया कि वह पैसा 50000 रुपये से बचा हुआ पैसा है ।जो मुझे धीर कम्पनी के चुराये हुए स्क्रैप के पैसे से बचे हुए पैसे है। हम लोग अपने नशे की जरुरतो को पूरा करने के लिए यह काम करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.अंचुल पुत्र जगदीश उम्र 35 वर्ष निवासी गांव अन्तपुर थाना अलीगंज जिला बरेली हाल पता म0नं0 283 इन्द्रा एन्कलेव केम्प नं0 5 विकासपुरी तिलक नगर पश्चिम दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।

2.फैसल उर्फ शकील पुत्र यामीन उर्फ आमिन उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बरहऊपुर पट्टी थाना पट्टी जिला प्रतापगढ हाल पता सेक्टर 8 बांस बल्ली थाना फेज 1 सेक्टर 5 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की गयी कॉपर पाईप कुल वजन 40 किलोग्राम कीमत लगभग 80 हजार रुपये, घटना मे प्रयुक्त एक वैगनार गाडी व 2700 रुपये बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. अभि0 फैसल उर्फ शकील के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में करीब 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग (चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट,आर्मस एक्ट) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
2. अभि0 अंचुल के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट के करीब 03 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार 300 रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक म0उ0नि0 सीमा मलान थाना सिहानीगेट द्वारा की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-354बी/341 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त राजेश पुत्र स्व0 बिरजु उर्फ विष्णु निवासी म0न0 345 शिब्बनपुरा गौतमनगर बौझा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 03.07.2026 को धारा- 354बी भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा वादिया की बहिन को अपने कमरे में बुलाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे गिराकर कपडे उतारने की कोशिश करने के सम्बन्ध में दिनांक 06.05.2024 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0मु0आ0 सरोज शर्मा** पैरोकार थाना सिहानीगेट

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर फर्जी वीजा,फर्जी टिकट व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों से पैसे वसूलने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 64 पासपोर्ट विभिन्न व्यक्तियो के, 01 लैपटाप, 01 प्रिन्टर, 01 डैस्कटाप व 01 सीपीयू बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- थाना कौशाम्बी पर दिनांक 21.03.2024 को वादी श्री आकाश वालिया ने थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी कि 3rd floor, MAHALAXMI TOWER, SECTOR - 4 VASHALI, GHAZIABAD में स्थित AL-NOOR TRAVELSFRKT नामक आफिस है जिसके उसमान खान द्वारा चलाया जाता है उस्मान खान ने वादी व वादी के अन्य साथियों से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,86,000 रुपये व उनके पासपोर्ट ले लिये हैं और उनको **फर्जी वीजा,फर्जी टिकट व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर दे दिये हैं प्राप्त तहरीर के आधार पर** अन्तर्गत धारा 420,467/468/471/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट बनाम उस्मान खान, अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें नामजद अभियुक्त व प्रकाश में आये मौ0 सैफ इस्लाम उर्फ अब्दुल्ला अंसारी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना से मांगेराम उर्फ अनुज कुमार व रणवीर के नाम भी प्रकाश में आये आज दिनांक 03.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियग में वाँछित अभियुक्तगण 1.मांगेराम उर्फ अनुज कुमार पुत्र परशराम निवासी गांव तलहेडी खुर्द चौकी मंगलौर रोड थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 38 वर्ष 2.रणवीर पुत्र वेदपाल निवासी गांव सापला खत्री थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 39 वर्ष को यशोदा अस्पताल के पास मैट्रो लाईन के नीचे नीली टीन के पास से हिरासत पुलिस में लिया गय़ा। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण मांगेराम उर्फ अनुज कुमार व रणवीर उपरोक्त ने पूछने एक स्वर में बताया कि साहब मैं व मेरे साथियो ने अपने नाम फर्जी रखे हुये थे व आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखे थे। हम दोनों व मौ0 सैफ इस्लाम व उस्मान खान अपनी सारी टीम के आधार कार्ड में नाम,पता बदलते थे अर्थात फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे जिससे पुलिस हमे पकड न सकें हम लोगों से रुपये लेकर उन्हे विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज देकर धोखाधड़ी से रुपेय ऐंठने का काम करते हैं। हम लोग एक आफिस किराये पर लेते थे और वहां पर फर्जीवाड़ा करके लोगों से रुपये ऐंठ कर भाग जाते थे और फिर दूसरी जगह आफिस ले लेते थे। मेरे दोस्तों का इससे पहले दिल्ली में आफिस था। इसी क्रम में हमने दिनांक 21/11/2023 को राम गोपाल अग्रवाल से महालक्ष्मी मैट्रो टावर सै0 4 वैशाली में तृतीय तल पर स्तिथ आफिस नं0 टी-18 किराये पर लिया था हम लोगों ने वैशाली वाली आफिस के माध्यम से काफी लोगों को फर्जी वीजा,फर्जी टिकट व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर रुपये ठगे हैं हमको

पता लग गया था कि हमारे विरुद्ध मुकदमा लिख गया है और इस मामले में हमारे दो साथी पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसी सिलसिले में हम अपने वकील से बात करने जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.मांगेराम उर्फ अनुज कुमार पुत्र परशराम निवासी गांव तलहेडी खुर्द चौकी मंगलौर रोड थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

2.रणवीर पुत्र वेदपाल निवासी गांव सापला खत्री थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 64 पासपोर्ट विभिन्न व्यक्तियो के, एक लैपटाप, एक प्रिन्टर, एक डैस्कटाप व एक सीपीयू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बीपुलिस टीम।